न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 149/23 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/169)

रामकिशोर पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कुस्तला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर।
2. धूल्या पुत्र लोहडक्या जाति गूर्जर नि0कुस्तला तहसील सवाईमाधोपुर **(मृतक)**
   2/1 सुरज्ञान पुत्र धूल्या
   2/2 सुरेश पुत्र धूल्या
   2/3 श्योजी पुत्र धूल्या
   जाति गूजर निवासी कुस्तला तह0 सवाईमाधोपुर।
3. जग्गा पुत्र लोहडक्या जाति गूजर निवासी कुस्तला तहसील सवाईमाधोपुर।
4. बाबूलाल जैन पुत्र फूलचंद जाति जैन निवासी मकान नं0 1/58–59 आवासन मण्डल कॉलोनी सवाईमाधोपुर।

..... **रैस्पोडेन्टस**

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर मु0नं0 02/2011 रामकिशोर बनाम सरकार दिनांक 30.11.2015 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 27.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती के संबध में इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट के स्वामित्व के साबिक खसरा नम्बर 340 रकबा 8 बीघा 16 विस्वा ग्राम कुश्तला में स्थित है। प्रार्थी/अपीलान्ट के चरपेटवा अप्रार्थी/रैस्पोडेन्टस के नाम की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 627 रकबा 2.32 है0 व खसरा नम्बर 628 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी/अपीलान्ट व अप्रार्थी/रैस्पोडेन्ट ने सवाई माधोपुर भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर से संयुक्त रूप से दिनांक 13.09.1991 को ऋण लिया था। दिनांक 22.11.2020 को विवादित भूमि खसरा नम्बर 628 रकबा 0.01 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी/रैस्पोडेन्टस संख्या 4 को बेचान कर दिया। खसरा नम्बर 628 पर खुदाई व निर्माण के समय से 1/2 हिस्से पर प्रार्थी/अपीलान्ट का स्वामित्व चला आ रहा है। भूप्रबन्ध विभाग ने पुख्ता चाह को प्रार्थी/अपीलान्ट की कृषि भूमि में ही दर्ज किया है। अप्रार्थी/रैस्पो0

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संख्या 2 व 3 ने विवादित भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर बेचान कर दिया है। इसलिऐ प्रार्थी/अपीलान्ट को दुरूस्ती इन्द्राज करना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 628 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह में 1/2 हिस्से का इन्द्राज प्रार्थी/अपीलान्ट के नाम व 1/2 हिस्से का इन्द्राज अप्रार्थी/रैस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम दर्ज किया जावे। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट चाही गई दादरसी 136 एल आर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कबर नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2015 से खारिज कर दिया गया। उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 30.11.2015 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। जरिये सम्मन रैस्पोडेन्ट को तलब किया गया। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया लिहाजा वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट एवं रैस्पोडेनट संख्या 2 व 3 ने साविक खसरा नम्बर 340 रकबा 8 बीघा 16 विस्बा की मेड पर शामिल में पुख्ता चाह का निर्माण करवाया था। जिसकी तहरीर दिनांक 22.03.1991 को सादा कागज पर की गई थी। पुख्ता चाह खसरा नम्बर 628 रकबा 0.01 है0 अपीलान्ट के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 629 की सीमा में होने के बाबजूद भी भू प्रबन्ध विभाग ने रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्ती करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। सन 1991 से उक्त चाह पर अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के पुख्ता के अलग ढाणे बने हुये हैं। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया और न ही अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज का समुचित परीक्षण किया। वरन् एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में कानूनी भूल की गई है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि प्रार्थना पत्र में चाही गई दादरसी धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत नहीं आती है। इसके लिए खातेदारी की उद्घोषणा कराने हेतु अलग से वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जबकि अपीलान्ट के प्रकरण में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की भूमि को केवल रैस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज किये जाने के कारण खसरा नंबर 628 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह में आधे हिस्से का इन्द्राज दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

गलत रूप से खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 निरस्त किया जावे व ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर में स्थित खसरा नंबर 628 रकबा 0.01 है0 पुख्ता चाह में अपीलान्ट का मुताबिक कब्जा 1/2 हिस्से का इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में उप जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार सवाई माधोपुर से जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब दिनांक 10.07.2015 में यह उल्लेख किया गया कि पटवारी हल्का कुश्तला से जॉच करवाये जाने पर यह अवगत कराया गया है कि प्रकरण में साविक खसरा नंबर 340 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 629 रकबा 1.10 व खसरा नंबर 630 रकबा 1.13 है0 बने हैं, जो वर्तमान रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी ने पत्रावली में खसरा नंबर 627 व 628 का उल्लेख किया है। प्रार्थी खसरा नंबर 628 रकबा 0.01 गैर मुमकिन चाह में अपना हिस्सा 1/2 दर्ज कराना चाहता है। जबकि गैर मुमकिन चाह बाबूलाल पुत्र फुलचन्द जैन के नाम दर्ज है, जो जरिये बेचान नामान्तकरण संख्या 2338 दिनांक 15.10.2013 से बाबूलाल पुत्र फुलचन्द के नाम दर्ज है। मौके पर गैर मुमकिन चाह खसरा नंबर 629 की मेड पर ही दर्ज है। प्रार्थी कुए में अपना हिस्सा 1/2 दर्ज करवाना चाहता है। इसके लिए सहमति पत्र संलग्न किया जाना बताया गया। अपीलान्ट की ओर से न तो अदालत हाजा में और न ही अदालत मातहत में इस तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया कि भू–प्रबंन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबंन्ध संबंधी कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट के हिस्से को कम कर रैस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज किया गया हो। जहां तक अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत 22.03.1991 के सहमति पत्र का प्रश्न है तो इसके आधार पर एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उक्त प्रावधान के तहत केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। जबकि अपीलान्ट की ओर से इस सहमति पत्र के आधार पर विवादित खसरा नंबर में आधा हिस्सा दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि उक्त प्रावधान के तहत दिया जाना उचित नहीं है। इस आधार पर विद्वान उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर